20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

310

न्यायालयः—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक0 /16 निगरानी R-4185-I16

1. भूरा पुत्र श्री नाथूसिंह
2. राकेश पुत्र नाथूसिंह समस्त निवासीगण ग्राम भटपुरा डॉग तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन ——— अना.

श्री S. P. Dhakad Ad. द्वारा आज दि. 09-12-16 को प्रस्तुत

9-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

735
9-12-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. मुरैना जिला मुरैना के प्र. क. 01/16—17/अ—68 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.11.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

22-11-16

9-12-16 (sd)

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, योग्य अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत रिठोरा कलॉ मौजा पटवारी भटपुरा डॉग तहसील व जिला मुरैना द्वारा सयुक्त रूप से एक फर्जी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भटपुरा डांग के 'शासकीय भूमि सर्वे क. 1, 2, 3, में से रकवा 0.32 हें. भूमि पर आवेदक भूरा, राकेश पुत्रगण नाथूसिंह गुर्जर द्वारा रेत , पत्थर डालकर बाउण्डी बनाकर कच्ची पाटोर बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर नायव तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीवद्ध कर प्रकरण कमांक 01/2016—17/अ—68 दर्ज किया जाकर आवेदकगण को आहुत किये बिना तथा पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान किये बिना आवेदकगण के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता की धारा 248 की कार्यवाही करते हुये अतिकमण हटाने के आदेश पारित आदेश दिंनाक 03.10.2016 से अवैध कब्जा मानकर हटाने के आदेश किये है। साथ ही अनु.वि.अधि. मुरैना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण भेंजा गया अनु.वि.अधि. मुरैना द्वारा दिनांक 04.10.2016 से सिविल वारन्ट के आदेश पारित किये है। उसी आदेश के पालन में दिंनाक 22.11.2016 सिविल कारागार में आवेदक क. 1 भूरा को सिविल कारागार मुरैना में बन्द है।

310

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4185-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	